4267

संख्या-I/421498/2026-III(2)/2026-60(एम०एल०ए०)/2022
ई० फाईल संख्या-48808

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 10 अगस्त, 2026

विषयः राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-कालाढूंगी के अंतर्गत 08 निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे०का० लो०नि०वि०, हल्द्वानी द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणनों, जिसके अंतर्गत मोटर मार्गों की कुल लम्बाई 11.220 कि०मी० एवं कुल लागत 416.84 लाख है, के शासन द्वारा परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹4,15,25,000/-(₹ चार करोड़ पन्द्रह लाख पच्चीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹10,000/-(₹ दस हजार मात्र) अर्थात कुल 08 कार्यों हेतु ₹80,000/- (₹ अस्सी हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि (₹ लाख में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (कि०मी० में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत् अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र- कालाढूंगी के अंतर्गत भरतपुर नं0-1 में जय माँ हाट कालिका, एलकैमिस्ट स्कूल व अन्य आन्तरिक मार्गों का पी0सी0 द्वारा नव निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन) (EDPR-13780)	1.925	78.24	0.10
2.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र- कालाढूंगी के अंतर्गत भरतपुर नं0-1 में जय माँ बाराही, दीपा अधिकारी, चौहान कालोनी, कविन्द्र कुटियाल व अन्य आन्तरिक मार्गों का पी0सी0 द्वारा नव निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन) (EDPR-13785)	2.575	96.90	0.10
3.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र- कालाढूंगी के अंतर्गत भरतपुर नं0-2 में पंचाचूली कालोनी, मंजू तिवारी, अमर सिंह बोनाल व अन्य आन्तरिक मार्गों का पी0सी0 द्वारा नव निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन) (EDPR-13789)	2.375	96.53	0.10
4.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-कालाढूंगी में दोहनिया से	0.800	15.75	0.10

2392 CE(P) प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0 2392 SSo P5 (इं0 राजेन्द्र सिंह) मुख्य अभियन्ता (नियोजन) EE(P-1) 20/08 CAO(P) 21/08/26

Scanned with OKEN Scanner

	देवीरामपुर तक मार्ग का पी0सी0 द्वारा सुधारीकरण कार्य (विस्तृत आगणन) (EDPR-9008)			
5.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र- कालाढूंगी के ग्राम किशनपुर कोटली गैबुआ मे कमल पाण्डे और हरप्रीत सिंह के घर तक लिंक मार्ग का सुधारीकरण कार्य (विस्तृत आगणन) (EDPR-2795)	0.520	11.09	0.10
6.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र- कालाढूंगी में विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम रामपुर लामाचौड़ के विभिन्न मोटर मार्गो का पी0सी0 द्वारा नव निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन) (EDPR-9274)	1.400	27.07	0.10
7.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-कालाढूंगी के अंतर्गत लक्ष्मी डेंटल हॉस्पिटल से संलघन कालोनी मार्ग में पी0सी0 द्वारा नव निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन) (EDPR-2750)	0.525	34.90	0.10
8.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र- कालाढूंगी के अंतर्गत ग्राम पंचायत गुजरौड़ा में भवान सिंह नेगी एवं मोहन नाथ गोस्वामी के घर से देवेन्द्रनाथ गोस्वामी के घर तक मार्ग का पुन: निर्माण कार्य एवं ग्राम गुजरौड़ा में मल्ला फतेहपुर व चारधाम मंदिर के पीछे मार्ग का नवनिर्माण कार्य (विस्तृत आगणन) (EDPR-8353)	1.100	54.77	0.10
	योग	**11.220**	**415.25**	**0.80**

(₹ अस्सी हजार मात्र)

2- उपरोक्त स्वीकृतियां निम्नांकित शर्तों के अधीन होंगी:

i. विस्तृत आगणन में में उल्लिखित दरें, जो शैडयूल आफ रेट से भिन्न हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

ii. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व प्राविधिक स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-149101/XXVII(7)/E-20109/2022 दिनांक 25 अगस्त 2023 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा

iii. सड़क मार्गों के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में वन विभाग के मानकों से सम्बन्धित लोक निर्माण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-I/276791/2025 ई०पत्रावली संख्या- 23430 {15 (सामान्य)/2022} दिनांक 19.02.2025 में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सुनिश्चित किया जाय।

iv. पी0सी0/जी0एस0बी0 का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अधिशासी अभियन्ता , यह सुनिश्चित करेंगे कि मार्ग की ज्यामितियों एवं सबग्रेड को विशिष्टियों के अनुसार प्राप्त कर लिया गया है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि मार्ग पर कहीं भी local depression नहीं है।

v. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मार्ग का ड्रेनेज प्लान बनाकर अधिशासी अभियन्ता , स्थलीय निरीक्षण कर सुनिश्चित कर लें कि मार्ग पर समुचित ड्रेनेज की व्यवस्था है।

vi. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूमि अधिग्रहण हेतु आवश्यक कार्यवाही कर ली जाय।

vii. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी नालियों के एल 0-सेक्शन एवं मार्गो का ड्रेनेज प्लान बनाकर इसे अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित करवा लिया जाय।

Scanned with OKEN Scanner

viii. कार्य की डी0एल0पी0 समाप्त होने के बाद मार्ग अनुरक्षण हेतु ग्राम पंचायत को नियमानुसार हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

ix. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

x. निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

xi. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

xii. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

xiii. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

xiv. यदि विषयगत कार्य को कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

xv. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स-2025 एवं उक्त विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

xvi. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31-03-2027 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

xvii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

xviii. विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28-03-2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 के संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या-4227 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है।

xix. कार्यस्थल की कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, कार्य करने के दौरान एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफ एवं विभागाध्यक्ष एवं वीडियो कार्यदायी संस्था द्वारा संरक्षित रखी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण के नामें डाला जायेगा।

4- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटर जनित संख्या-I/421112/2026, दिनांक-07.08.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
Mahaveer Singh Chauhan
Date: 10-08-2026
15:41:22

(महावीर सिंह चौहान)
अपर सचिव

संख्या एवं तददिनांकित।
प्रतिलिपि,निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

Scanned with OKEN Scanner

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2026 - 2027)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/421498/2026 आवंटन आई डी-S26080220035
अनुदान संख्या -022 आवंटन पत्र दिनांक-17-AUG-2026

लेखा शीर्षक	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	04-जिला तथा अन्य सड़के
	337-सडक निर्माण कार्य	03-राज्य सेक्टर
	02-नये निर्माण कार्य	Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	3090000	80000	0	3170000
योग	3090000	80000	0	3170000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.80,000 (Rupees Eighty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, "नियोजन- I" उत्तराखण्ड़ देहरादून

(OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, PWD, DEHRADUN UTTRAKHAND)

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd E-mail: p1hodpwduk@gmail.com

पत्रांक–1009 / 20याता०(वित्तीय स्वीकृति)नियो०–1 / 2026, दिनांक–21 अगस्त,2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 02 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।
3. अधिशासी अभियन्ता, CD खण्ड़, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
4. आई०टी० सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. सहायक लेखाधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अपर सहायक अभियन्ता, प्राविधिक वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

21/8/26

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
कार्या० प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner